न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 31/2023
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2023/39

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

अपीलाण्ट :–

1. ईमामुदीन पुत्र अब्दुलजी उम्र 65 वर्ष जाति तेली मुसलमान निवासी गुडा कला, हाल 848, जहांगीर नगर, तस्लीम सोसायटी के पास, वाटवा, अहमदाबाद गुजरात
2. शकूर मोहम्मद पुत्र अब्दुल जी उम्र 59 वर्ष, जाति तेली मुसलमान निवासी गुडा कला, हाल 19–ए, हुसेनाबाद सोसायटी, तहसील सोसायटी के पास, वाटवा, अहमदाबाद (गुजरात)
3. हनीफ खां पुत्र स्व. मुख्तियार खांजी उम्र 43 वर्ष, हाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान।
4. श्री फकीर मोहम्मद पुत्र स्व. मुख्तियार खांजी उम्र 37 वर्ष, हाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान।
5. श्रीमती फातमा पत्नी स्व. मुख्तियार खांजी उम्र 74 वर्ष, हाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान
6. दिलदार खां पुत्र स्व. हमीर खांजी, उम्र 32 वर्ष, जाति तेली मुसलमान निवासी पुलिस चोकी के पास गुडा कला तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

रेस्पोडेन्ट :–

1. हाजी खां पुत्र इब्राहीम खांजी, जाति मुसलमान निवासी गुडा कला तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
2. ताज मोहम्मद पुत्र बाबुखांजी, जाति तेली मुसलमान निवासी केवलाद तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
3. शकूर खां पुत्र याकूब खांजी, जाति तेली मुसलमान निवासी गुडा कला तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
4. सलीम खां पुत्र याकूब खांजी, जाति तेली मुसलमान निवासी गुडा कला तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
5. साबूदीन पुत्र साकूब खांजी, जाति तेली मुसलमान निवासी गुडा कला तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
6. सुराराम पुत्र भुरारामजी, जाति सिरवी निवासी सांरगवाज तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
7. चौथाराम पुत्र नारायणलालजी जाति सिरवी निवासी बेरा भाणावा कंटालिया, तहसील मारवाड जक्शन, जिला पाली राजस्थान
8. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, सोजत के प्रकरण संख्या 19/2022 में पारित निर्णय दिनांक 20–09–2023

उपस्थिति :–
1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्याम सिंह राजपुरोहित विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट।
2. श्री दौलत मकवाणा, श्री भरत उपाध्याय विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 तक।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.04 20:01:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांकः– 04 अप्रैल 2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट हाजी खां पुत्र इब्राहीम खां जाति के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 19/2022 अंतर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम1956 के तहत प्रकरण

संभागीय आयुक्त,
पाली

दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी श्री हाजी खां के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर निर्णय दिनांक 20–09–2023 को पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–09–2023 से व्यथित होकर अपीलाण्ट श्री ईमामुदीन वगैरह ने यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट्स ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि ग्राम ढुण्ढा लाम्बोडी पटवार हल्का गुडा रामसिंह, भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र गुडा कलां, उपतहसील बगडी नगर, तहसील सोजत के खसरा नंबर 634,635,657,658,666,667,668,501,502,503 कुल खसरा 11 कुल रकबा 9.4200 हैक्टेयर में 1/24वां हिस्सा मृतक नूरखां पुत्र अब्दुलजी जाति तेली मुसलमान की खातेदारी का स्थित हैं। इसी तरह ग्राम गुडा कला, पटवार हल्का गुडाकला, भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र गुडा कलां, उपतहसील बगडी नगर, तहसील सोजत में खसरा नंबर 132,134,135 कुल खसरा 3 कुल रकबा1.1100 हैक्टेयर में 1/24वां हिस्सा मृतक नूरखां पुत्र अब्दुल जाति तेली मुसलमान की खातेदारी स्थित है तथा खसरा नंबर 142 रकबा 0.2000 हैक्टेयर में भी 1/24वां हिस्सा मृतक नूरखां पुत्र अब्दुलजी जाति तेली मुसलमान की खातेदारी स्थित है। नूर खां की मृत्यु दिनांक 13.12.2013 को हो चुकी है, उनके जीवित पुत्र पुत्री पत्नी नहीं है। उनके पिता का देहांत दिनांक 12.05.1998 को व माता का देहांत दिनांक 19–01–2015 का हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उक्त खसरान की कृषि भूमि में मृतक नूर खां के 1/24वें हिस्सेकी भूमि स्वयं के नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ अनरजिस्टर्ड वसीयत पेश की गई। विधिक रूप से उक्त आवेदन दिनांक 02–12–2022 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन पत्रावली उससे पूर्व ही उक्त आवेदन के आधार पर दिनांक 15–09–2022 को अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज की गई।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि मृतक नूरखां की कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु अपीलाण्ट्स द्वारा भी एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, साथ ही उक्त प्रकरण की जानकारी होने पर दिनांक 10–04–2023 को तथाकथित वसीयत की प्रतिलिपि दिये जाने हेतु आवेदन पेश किया। तत्पश्चात् दिनांक 12–09–2023 को अधिवक्ता के जरिये सक्षम सिविल न्यायालय से मृतक नूरखां के विधिक उत्तराधिकारी हाजी खां होने बाबत् प्रमाण पत्र मंगवाने के बाद ही प्रकरण का निस्तारण किये जाने तथा तथाकथित वसीयत, गोदनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि दिये जाने एवं अपीलाण्ट्स सहित मृतक के विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12–09–2023 द्वारा अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.04 20:31:08 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मंगवाये जाने का खारिज किया गया तथा वसीयत इत्यादि की प्रतिलिपि बाबत् दिये गये आवेदन को भी खारिज किया गया। दिनांक 20–09–2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 हाजी खां के नाम दर्ज करने बाबत् निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स द्वारा विधिवत् आपत्ति जो कि जवाब के रूप में पेश की गई थी। तत्पश्चात् आपत्ति के समर्थन में करीब 13 शपथ पत्र जिसमें मृतक नूरखां के भतीज, सगे भाई, सगी भाभी इत्यादि के पेश किये थे। जिस बाबत् न तो पूरी पत्रावली में कोई विवरण दर्ज है, न ही उस बाबत् अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का अंकन है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार दस्तावेजात, न्यायिक दृष्टांत, बहस इत्यादि बाबत् कुछ भी तथ्य दर्ज नहीं किये गये, जिससे अपीलाण्ट्स को सख्त प्रिज्यूडिश हुई है। अपीलाण्ट्स की ओर से विधिक वारिसान के नाम म्यूटेशन दर्ज किये जाने एवं तथाकथित वसीयत के आधार पर म्यूटेशन दायर नहीं करने बाबत् प्रस्तुत आवेदन पेश किया था, जि पर प्रकरण संख्या 3/2023 दर्ज किया गया था, लेकिन इसे पूर्व में दर्ज व लम्बित पत्रावली संख्या 19/2022 के साथ संलग्न कर दी और उसमें अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई तथा उक्त पत्रावली में किसी प्रकार का कोई निर्णय भी पारित नही किया गया।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि मृतक नूर खांजी जन्म से ही दृष्टिहीन अर्थात् अंधे व्यक्ति थे, मृत्यु के समय उनकी आयु करीब 65 वर्ष थी। मृत्यु के समय पिछले कई महिनो से वे चल फिर नहीं सकते थे, बिस्तर पर मरणासन्न अवस्था में थे, बोल भी नही सकते थे, उनके हाथ पैर काम नही करते थे तथा केवल अंतिम सांसे चल रही थी। उनके द्वारा दिनांक 07–12–2013 को बताई जा रही तथाकथित वसीयत पूर्णरूपेण फर्जी एवं कुटरचित है। क्योंकि वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 13–12–2013 को गई थी, मृत्यु के 6 दिन पूर्व वसीयत संदिग्ध होना ही प्रमाणित है, वसीयत अनरजिस्टर्ड है। उपरोक्त वसीयत नूरखांजी द्वारा स्वेच्छा से, पूर्ण रूप से मानसिक स्वस्थ अवस्था में निष्पादित नहीं की थी। उक्त वसीयत में दो साख ईस्माईल खां व कानाराम की होना बताई गई है, जो दोनो न तो गांव के निवासी है, न ही कभी गांव आये है। उक्त वसीयत को नोटेरी पब्लिक गोपालसिंह से तस्दीक करना बताया है, जबकि मृतक नूरखां चलने फिरने की तत्समय स्थिति में ही नही थे, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वसीयत पूर्णरूपेण फर्जी व कुटरचित है तथा बिना नूरखांजी को बताये, समझाये, सुनाये संपति को हडप करने तैयार किया गया एक कृत्रिम दस्तावेज है, इस संबंध में माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत 2013 DNJ (SC) 62, 2015 DNJ (SC) 419 एवं 2023 (SC) 1148, 1989(1) RLW page 498 प्रस्तुत किये। उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया हे, जो विधिवत नही होने से अपास्त योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को किसी भी रूप से विधिनुसार साबित नही किया गया है, वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 अनुसार [illegible] किया जाना आवश्यक है। स्वयं प्रार्थी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 हाजी [illegible] न ही अपने बयान दिये, न ही वसीयत को प्रदर्श किया गया, साथ ही दो साख बोलने वाले गवाहो के बयान के रूप में ईस्माईल खां एवं कानाराम के बयान अवश्य दर्ज किये है, लेकिन उसमें भी वसीयत को न तो टेण्डर किया गया, न ही वसीयत पर प्रदर्श डाला गया, न ही उनके द्वारा शाख को प्रमाणित किया गया, ऐसी स्थिति में उनके बयानो के आधार पर वसीयत किसी भी रूप से साबित नही थी। वसीयत पूर्णतया अनरजिस्टर्ड हे एवं संदिग्ध अवस्था

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.04 20:01:08 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

में निष्पादित होना साबित था एवं उपरोक्त गवाहान से अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार से जिरह का अवसर नही दिया गया, इस कारण भी पारित अपीलाधीन निर्णय किसी भी रूप से कायम रखे जाने योग्य नहीं है। इस संबंध में न्यायायिक दृष्टांत 2022(2) आर आर टी पेज नंबर 815, 2022(2) आर आर टी पेज नंबर 68, 2010 डी एन जे (एस सी)पेज नंबर 376 प्रस्तुत किये। अनरजिस्टर्ड वसीयतग्रहिता सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर सकता है। उक्त संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत के आधार पर म्यूटेशन पारित नहीं किया जा सकता है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि मुस्लिम विधि के तहत कोई भी मृतक व्यक्ति अपनी संपति में से 1/3 हिस्से से अधिक की वसीयत नहीं कर सकता है। 1/3 हिस्से से अधिक की वसीयत स्वतः ही विधिक रूप से अवैध व शून्य है, जिसका विधिक रूप से कोई संज्ञान नही लिया जा सकता है, फिर भी तथाकथित वसीयत दिनांक 07–12–2013 द्वारा संपूर्ण संपति की वसीयत किया जाना वसीयत में दर्ज है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त वसीयत मुस्लिम विधि अनुसार प्रथमदृष्टया अवैध व शून्यवृत होने से इसके आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश भी प्रथमदृष्टया ही अवैध और शून्य है। संपूर्ण वसीयत में ग्राम गुडा कला स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 132,134,135,142 बाबत् वसीयत किये जाने के संबंध में कुछ भी तथ्य दर्ज नहीं है, फिर भी जैर अपील आदेश द्वारा उक्त गुडा कला स्थित कृषि भूमि का म्यूटेशन भी उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर कोई व्यक्ति क्लेम करता है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय में वसीयत के आधार पर स्वयं के नाम घोषणा का वाद प्रस्तुत करना होगा, बिना वाद प्रस्तुत किये समरी प्रक्रिया के तहत् वसीयत के आधार पर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। वसीयत चाहे रजिस्टर्ड हो अथवा अनरजिस्टर्ड हो, इस सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को विधिनुसार कोई अधिकारिता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में तो वसीयत अनरजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड वसीयत अथवा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नियम 132 राज. लेण्ड रेकर्ड नियम 1957 के अनुसार म्यूटेशन पारित नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में भी जैर अपीलाधीन आदेश अवैध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत आवेदन के प्रकरण संख्या 3/2023 की पत्रावली को पूर्व में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से पेश आवेदन की लम्बित पत्रावली संख्या 19/2022 के संलग्न कर दी गई एवं बिना अपीलाण्ट्स को साक्ष्य, सबुत एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत् जिरह का अवसर प्रदान किये जैर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा लिखित बहस के पद संख्या 7 में यह [illegible] जन्म से ही दृष्टिहीन था, लेकिन इंतकाल से कई महिने पहले से चल[illegible] स्थिति में नहीं होने, बिस्तर पर मरणासन अवस्था में होने, [illegible]दि बाबत् तथ्यों से इन्कार किया है, जबकि वास्तव[illegible] थी, इसलिए वसीयत को फर्जी तरीके से तैयार किया जाना प्रमाणित है। मुस्लिम वि[illegible] में गोद लिये जाने एवं दिये जाने बाबत् विधिक रूप से न तो प्रावधान है, न ही पुरानी प्रथा है, इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत 2017(2) DNJ 366(SC) पेश किया गया। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त अनुसार मुस्लिम विधि में गोद दिया जाना या लिया जाना वर्जित है।

संभागीय आयुक्त,
पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.04 20:01:08 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 हाजी खां ने वसीयत में वर्णित कृषि भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 7 को पंजीबद्ध विकय पत्र से विक्रय कर दी है और वे सभी सद्भाविक केता बिना नोटिस एवं विथ कन्सीडरेशन है, इसलिए उनको निरस्त करवाये बिना अपीलाण्ट्स वादग्रस्त भूमि में कोई हक, स्वतः, हित, अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है। उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में अपीलाण्ट्स की ओर से निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–09–2023 को पारित किये जाने के तुरन्त बाद ही दिनांक 21–09–2023 को म्यूटेशन संख्या 1126 पटवारी द्वारा दायर किया और उसी दिन आर.आई. द्वारा जांच की गई तथा दिनांक 26–09–2023 को उपतहसीलदार बगडी नगर द्वारा स्वीकृत कर दिया तथा स्वीकृत होने के दुसरे दिन ही अर्थात् दिनांक 27–09–2023 को क्रेतागण रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 7 को पंजीबद्ध विकय पत्र से विकय कर दी और उनके पक्ष में भी दिनांक 06–10–2023 को म्यूटेशन स्वीकृत कर खातेदार दर्ज कर दिया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित होने के 7 दिन के अंदर ही वसीयत में वर्णित संपति को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 7 को विक्रय करना स्पष्ट दर्शित करता है कि विक्रय पत्र किसी भी रूप से सद्भावी नहीं है, न ही क्रेतागण सद्भावी क्रेता है, जब मुस्लिम विधि के तहत् 1/3 हिस्से से अधिक संपति को वसीयत ही नहीं की जा सकती है और तथाकथित वसीयत द्वारा संपूर्ण संपति को वसीयत कर दी है तो ऐसी स्थिति में वसीयत प्रथमदृष्टया ही अवैध एवं शून्य है, इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत AIR 2013 Gauhati page34, AIR 1986 Bom. Page 357 प्रस्तुत किया गया। इसलिए इसके आधार पर पारित आदेश भी अवैध है और उक्त अवैध वसीयत और अवैध आदेश के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा जो विक्रय पत्र निष्पादित किये गये है, वे भी अवैध है और क्रेतागण को कोई हक, हकुक, अधिकार प्राप्त नही हो सकते है, ऐसे विकय पत्रो को अलग से न तो चुनौती दिये जाने की आवश्यकता है, न ही निरस्त करवाये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2006 आरआरडी पेज 837 प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि Mutation attested in name of 'M' alone- Document executed in voilation of law is ab inifio void and a nullity in the eyes of law- Mutation set aside- Subseqent sale by 'M' is also void and sale also set aside- The sale deed need not be goe expressly canclelled by a civil court- order of R.A.A. set aside. इस संबंध में माननीय न्यायायलों के दृष्टांत 2012 (2) आरआरटी पेज 50, 2012 आरआरडी पेज 422, 2002 आरआरडी पेज 669, 2013(2) आरआरटी पेज 1284 पेश किये गयें, जिसमें भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां पर अवैध म्यूटेशन के आधार पर कोई भूमि विक्रय की जाती है तो ऐसा विक्रय विधिक रूप से शून्य है, उसे न तो निरस्त किये जाने की आवश्यकता है, न ही क्रेता को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अनरजिस्टर्ड वसीयत के संदर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में निर्णय ग्यारसी बाई बनाम राजस्व मण्डल 2024(1) आरआरटी पेज 25 पारित किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि "If there is any dispute with respect to the title and more [illegible] when the mutation entry is sought to be made on the basis of the will, the party who is claiming title/right on the basis of the will has to approach the appropriate Civil Court and get his rights crystalised and only thereafter on the basis of the decision of the Civil Court necessary mutation entry can be made" उपरोक्त निर्णय के बाद राजस्व न्यायालय को समरी प्रकिया के तहत् अथवा वाद के तहत् वसीयत के आधार पर खातेदारी दिये जाने बाबत् अधिकारिता नहीं होना प्रमाणित है, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। इसके अलावा भी रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर म्यूटेशन पारित नहीं किया जा सकता है, इस संबंध

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.04 20:01:08 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

में न्यायिक दृष्टान्त 2023 (1) आर.आर.टी. पेज 93, 2009 (1) आरआरटी पेज 500, 2017 आरआरटी पेज 1355, 2011 आरआरटी पेज 646, 2014 आरआरटी पेज 196 भी प्रस्तुत किये गये, जिसमें भी अनरिजस्टर्ड वसीयत के आधार पर म्यूटेशन पारित करने की अधिकारिता नहीं है। जहां वसीयत और उत्तराधिकार के सबंध में विवाद हो तो वहां पर नियमित वाद के जरिये ही वसीयत के आधार पर अधिकार प्राप्त किये जा सकते है। मृतक का म्यूटेशन उत्तराधिकारियों के पक्ष में ही पारित किया जाएगा इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 2003(1) आरआरटी पेज 650 एवं 2016 (2) आरआरटी पेज 1099 प्रस्तुत किये।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि वसीयत को संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत् न तो साबित किया जा सकता है, न ही उसके आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है, इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2024 (1) आर आर टी 25(HC) प्रस्तुत किया गया। विधिक बिन्दु कभी भी किसी भी स्तर यथा अपील/निगरानी में उठाये जा सकेत है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत ए आई आर 1965(एस सी) पेज नंबर 1325, ए आई आर 1971(एस सी) पेज नंबर 2018 तथा डी एन जे 2021 (एस सी) पेज नंबर 1053 प्रस्तुत किये। अतः अपील स्वीकार फरमावें एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावें तथा अपीलाण्ट्स सहित मृतक के सभी उत्तराधिकारियों के पक्ष में अपील में वर्णित कृषि भूमि का म्यूटेशन पारित किये जाने का आदेश पारित फरमावे।

5. विद्वान अधिवक्ता वकील रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के द्वौरान कथन किया कि सरहद मौजा ग्राम ढुंढा लाम्बोडी, पटवार खण्ड गुडारामसिंह, भू–अभिलेख क्षेत्र गुड़ाकलां, तहसील सोजत खसरा नम्बर 501 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 503 रकबा 0.8800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 634 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 635 रकबा 1.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 636 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 657 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 659 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 666 रकबा 1.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 667 रकबा 0.8400 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 668 रकबा 1.4700 हैक्टेयर उपरोक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में नूर खां वल्द अब्दुल तेली मुसलमान, निवासी गुडाकलां का 1/27 वां हिस्सा खातेदारी था।

इसी प्रकार सरहद मौजा ग्राम गुडाकलां, पटवार हल्का गुढाकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडाकलां, तहसील सोजत मे खसरा नम्बर 132 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.3200 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 135 रकबा 0.4400 हैक्टेयर उपरोक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि मे नूर खां वल्द अब्दुल तेली मुसलमान, निवासी गुडाकलां का 1/24 वां हिस्सा खातेदारी था।

इसी प्रकार सरहद मौजा ग्राम गुडाकलां, पटवार हल्का गुढाकला, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडाकलां, तहसील सोजत में खसरा नम्बर 142 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल उपरोक्त खसरा नम्बर 142 की कृषि भूमि मे नूर खां वल्द अब्दुल तेली मुसलमान, निवासी गुडाकलां का 1/24 वां हिस्सा खातेदारी था। उपरोक्त कृषि भूमि को सुविधा के लिये आगे "वादग्रस्त भूमि" कहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.04 20:01:08 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि उक्त नूर खां वल्द अब्दुल तेली मुसलमान, निवासी गुडाकलां जन्म से दृष्टीहीन एवं अविवाहीत था। रेस्पोडेण्ट हाजी खां

ने नूर खां की जीवनभर सेवा चाकरी, दवा–दारू, बन्दगी लगातार जाइन्दा पुत्र की भांती की जिससे खुश होकर उक्त नूर खां द्वारा वादग्रस्त भूमि सहीत पट्टासुद मकान व पुलिस चौकी बडागुडा के पिछे स्थित आवासीय सम्पति बाबत् दिनांक 07.12.2013 को सोजतसिटी जाकर रेस्पोडेण्ट हाजी खां व उपस्थित गवाह इस्माईल खां वल्द अल्लानूर खां, जाति मुसलमान, निवासी मारवाड जंक्शन व कानाराम वल्द बोहराराम, जाति नायक, निवासी गुडाकलां की मौजूदगी मे बकायदा स्टाम्प पेपर पर एक वसीयतनामा रेस्पोडेण्ट हाजी खा के पक्ष में टाईप करवाकर नोटरी पब्लिक श्री गोपालसिंह राजपुरोहित के समक्ष तस्दीक करने हेतु प्रस्तुत किया। तत्समय रेस्पोडेण्ट हाजी खां एवं गवाह इस्माईल खां ने उक्त वसीयतनामा पढकर उक्त नूर खां को सुनाया, समझाया जिसे सुन–समझकर सही होना मंजूर कर नूर खां ने उक्त वसीयतनामा के प्रत्येक पेज पर अपने लेफ्ट हैण्ड के अंगुष्ठ निशान किये एवं उपस्थित उक्त गवाहान में से पहली साख इस्माईल खां एवं दूसरी साख कानाराम नायक ने नूर खां के कहने से उसके रूबरू सोजत कोर्ट में डाली तथा अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इस प्रकार नूर खां ने उक्त वसीयतनामा रेस्पोडेण्ट हाजी खां के पक्ष में तहरीर व तकमील कर नोटेरी पब्लिक श्री गोपालसिंह जी राजपुरोहित से तस्दीक करवाया, जिसकी प्रति योग्य अधिन न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। उक्त वसीतयनामा में नूर खां ने सहर्ष दर्ज करवाया कि नूर खां के इन्तकाल के बाद नूर खां की सम्पति वादग्रस्त कृषि भूमि, पट्टासुद मकान व पुलिस चौकी बडागुडा के पिछे स्थित आवासीय सम्पति का एकमात्र मालिक रेस्पोडेण्ट हाजी खां ही रहेगा और मालिक की हैसियत से ही सम्पति का उपयोग उपभोग अपनी मरजी माफिक करेगा, उसके किसी भी प्रकार की कोई अडचन या उजर ऐतराज झगडा टन्टा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकेगा। उक्त वसीयतनामा नूर खा का अंतिम वसीयतनामा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर नूर खां के इन्तकाल दिनांक 13–12–2013 के बाद से नूर खां की हिस्सा भूमि पर रेस्पोडेण्ट हाजी खां का कब्जा एवं काश्त कायम हुआ।

रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि रेस्पोडेण्ट हाजी खां ने उक्त वसीयतनामा दिनांक 07.12.2013 के आधार पर नामातंरकरण दर्ज कराने हेतू हल्का योग्य अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन–पत्र मय वसीयतनामा प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 15–09–2022 को अधीनस्थ न्यायालय राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पटवारी हल्का से वादग्रस्त भूमि के संबंध मे मौका रिपोर्ट व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की तथा पक्षकारान को नोटिस जारी करने एवं पटवारी हल्का से नूर खां के विधिक वारिसान की रिपोर्ट ली जाकर उक्त नोटिस सर्वसाधारण को अखबार में प्रकाशित करवाकर छाया प्रति प्रस्तुत करवाई जाने बाबत् आदेश पारित किया। तत्पश्चात् आगामी पेशीया गत आदेश की पालनार्थ नियत रही। पेशी तारीख 27–03–2023 को साख के गवाह इस्माईल खां का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ। उक्त गवाह इस्माईल खां ने योग्य अधिन न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुख्य बयान का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर बयान दिये कि नूर खां के हक हिस्से की कृषि जोत की भूमि की वसीयत नूर खां ने अपने जीवनकाल में हाजी खां के पक्ष में दिनांक 07–12–2013 को तहरीर व तकमील कर निष्पादित करके नूर खां ने नोटेरी पब्लिक श्री गोपालसिंह राजपुरोहित से तस्दीक करवाई जिसके क्रमांक 1332 दिनांक 07–12–2013 है तथा नूर खां के कहने से उक्त वसीयत मुझ शपथकर्ता तथा दूसरी साख कानाराम पुत्र बोहरराम जाति नायक निवासी गुडाकला तहसील सोजत ने साक्ष्याकिंत कर बहस हाजी खां के पक्ष में तहरीर व तकमील कर दिया था जो नूर खां के द्वारा किया गया अंतिम वसीयतनामा था। उक्त गवाह न्यायालय में सशपथ यह भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.04 20:01:08 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

साक्ष्य दी कि दिनांक 07–12–2013 को श्री नूर खां द्वारा श्री हाजी खां को वसीयत की उस समय वह गवाह के रूप में उपस्थित था व उक्त गवाह इस्माईल खां ने यह भी साक्ष्य दी कि वसीयतकर्ता ने अपना अंगुष्ठ निशान व वसीयतग्रहीता ने अपने हस्ताक्षर उक्त गवाह इस्माईल खां के सामने वसीयतनामा पर किये थें। इस प्रकार उक्त साख के गवाह इस्माईल खां व आगे वर्णितानुसार गवाह कानाराम ने वसीयतनामा उनकी उपस्थिति में टाईप करना, नूर खां द्वारा उक्त गवाह की उपस्थिति मे उक्त वसीयतनामा पर अपने अंगुष्ठ निशान करना तथा नूर खां के कहने से पहली साख इस्माईल खां द्वारा डालना एवं दूसरी साख कानाराम नायक द्वारा डालना एवं नोटेरी पब्लिक श्री गोपालसिंह राजपुरोहित के समक्ष प्रस्तुत कर तस्दीक करवाना साबित किया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो अनुसार उक्त वसीयतनामा दिनांक 07–12–2013 को साबित किया है जिसे नासाबित मानने का लेसमात्र कारण एवं आधार अपीलार्थीगण की अपील से प्रकट नहीं है अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज करने योग्य है।

रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि आगामी पेशी तारीख 10–04–2023 को पटवारी हल्का गुडारामसिंह द्वारा नूर खां के वारिसान व राजस्व रेकर्ड की मौका स्थिति रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जिसके अवलोकन से साबित एवं रोशन है कि मौजा ग्राम दुण्ढा लाम्बोडी, पटवार हल्का गुडारामसिंह की सरहद में स्थित खसरा नम्बरान 501 से 503, 634 से 636, 657, 659, 666 से 668 कुल खसरे 11, कुल रकबा 9.4200 हैक्टेयर भूमि पर मौके पर नूर खां की हिस्सा भूमि पर रेस्पोडेण्ट हाजी खां का कब्जा–काश्त कायम है। उक्त रिपोर्ट में पटवार हल्का गुडाकलां से ग्राम गुडाकलां के राजस्व रेकर्ड व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तलब करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात् पटवारी हल्का गुडाकलां द्वारा भी मौका की जांच कर मौका फर्द दिनांक 12–04–2023 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भी खसरा नम्बर 132,134,135 एवं 142 पर रेस्पोडेण्ट हाजी खां का कब्जा–काश्त कायम है। अपीलार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत कर वसीयतनामा की प्रति अपीलार्थीगण को उपलब्ध करवाने बाबत् निवेदन किया, जिस पर वकील अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट को वसीयत की प्रति देने बाबत् आदेशित किया गया। पेशी तारीख 20–07–2023 को अप्रार्थी हाजी खां ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपीलार्थीगण को वसीयत की प्रति उपलब्ध करवाई तथा उक्त वसीयत मे साख के गवाह कानाराम की तलबी हेतू नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। आगामी पेशी तारीख 21–07–2023 के लिये उक्त गवाह कानाराम को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ, जिस पर उक्त गवाह कानाराम अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुख्य बयान का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर बयान दिये कि सरहद मौजा ग्राम ढुण्ढा लाम्बोडी एवं गुडाकलां मे नूर खां के नाम से खातेदारी भूमि आयी हुई स्थित थी तथा नूर खां के द्वारा उक्त जमीन को अपने जीवनकाल मे हाजी खां को वसीयत कर दी थी। जिस वसीयत में बतौर गवाहान मेरे हस्ताक्षर है। नूर खां का इंतकाल हो चुका है तथा नूरखां के स्वर्गवास के पश्चात से उपरोक्त भूमि पर काश्त का कब्जा व उपभोग हाजी खां का ही चला आ रहा है तथा उक्त वसीयतनामा नूर खां के द्वारा अपनी पूर्ण सहमति, स्वीकृति एवं स्वस्थचित अवस्था मे निष्पादित किया गया था जो आज भी वैध प्रभावी है। उक्त गवाह कानाराम ने योग्य अधिन न्यायालय मे सशपथ यह भी साक्ष्य दी कि श्री नूर खां द्वारा श्री हाजी खां को सरहद मौजा ग्राम दुण्ढा लाम्बोडी एवं गुडाकलां मे वसीयत की गई थी। उक्त वसीयत के निष्पादन के समय उक्त कानाराम गवाह के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.04 20:01:08 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

रूप में मौजूद था। उक्त गवाह कानाराम ने यह भी साक्ष्य दी कि वसीयतकर्ता ने अपना अंगुष्ठ निशान व वसीयतग्रहीता ने अपने हस्ताक्षर उक्त गवाह कानाराम के सामने वसीयतनामा पर किये थें। इस प्रकार उक्त साख के गवाह इस्माईल खां एवं कानाराम ने वसीयतनामा उनकी उपस्थिति में टाईप करना, नूर खां द्वारा उक्त गवाह की उपस्थिति मे उक्त वसीयतनामा पर अपने अंगुष्ठ निशान करना तथा नूर खां के कहने से पहली साख इस्माईल खां द्वारा डालना एवं दूसरी साख कानाराम नायक द्वारा डालना एवं नोटेरी पब्लिक श्री गोपालसिंह राजपुरोहित के समक्ष प्रस्तुत कर तस्दीक करवाना साबित किया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो अनुसार उक्त वसीयतनामा को साबित किया है जिसे नासाबित मानने का लेसमात्र कारण एवं आधार अपीलार्थीगण की अपील से प्रकट नही है अतः अपीलार्थीगण की अपील सव्यय खारिज करने योग्य है।

रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पेशी तारीख 12–09–2023 को अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर वसीयतनामा एवं गोदनामा की सत्यता व वैधता की जांच कराने हेतू प्रमाणित प्रति दिलाने तथा अन्य प्रार्थना–पत्र बाबत् सिविल न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र मंगवाने के बाद प्रकरण का निस्तारण करने बाबत प्रस्तुत किये। जिस पर दोनो पक्षो की बहस सुनी जाकर अपीलार्थीगण के उक्त दोनो प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किये गये। तत्पश्चात् अपीलार्थीगण की आपत्ति दिनांक 10–08–2023 पर दोनो पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर उक्त आपत्ति प्रार्थना–पत्र दिनांक 10–08–2023 भी योग्य न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निरस्त किया गया। अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये तथा पेशी तारीख 12–09–2023 को भी उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस अन्तिम सुनी जाकर आगामी पेशी तारीख 20–09–2023 को निर्णय पारित कर वसीयतनामा दिनांक 17–12–2013 को साबित मानकर अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट हांजी खां के पक्ष मे वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज करने हेतू हल्का पटवारी को आदेशित किया गया।

रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि जहां तक अपील पद संख्या 3 में वर्णितानुसार अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट द्वारा आवेदन दिनांक 02.12.2022 को प्रस्तुत करना एवं उसके पूर्व ही दिनांक 15–09–2022 को प्रकरण दर्ज करने का प्रश्न है इस संबंध मे निवेदन है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 15–09–2022 के पूर्व योग्य अधिन न्यायालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर दिनांक 15–09–2022 को धारा 135(2) आर.एल.आर. एक्ट के तहत पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। विधि अनुसार धारा 135(2) आर.एल.आर. के तहत अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत की संक्षिप्त जांच कर नामान्तकरण दर्ज करने संबंधी विशिष्ठ प्रावधान है जिन प्रावधानो के तहत ही पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर सं[illegible] का विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया जिसके किसी भी प्रकार की [illegible]धी त्रुटी नहीं है। विधि अनुसार धारा 135(2) आर.एल.आर. [illegible] अक्षरतः पालना करना कत्तई आवश्यक नहीं है, ऐसी [illegible] अपीलार्थीगण द्वारा मुस्लिम विधि के तहत तथाकथित उत्तराधिकारी होने से आधार [illegible]न्तरकरण दर्ज करने हेतू अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर पत्रावली संख्या 3/2023 कायम की गई तथा रेस्पोडेण्ट हाजी खां द्वारा वसीयतनामा के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने हेतू अधिन न्यायालय में आवेदन किया था। जिस पर पहले से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.04 20:01:08 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

पत्रावली संख्या 19/2022 दर्ज रजिस्टर्ड होकर विचाराधीन थी। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र पर दर्ज पत्रावली को रेस्पोडेण्ट के आवेदन–पत्र पर पूर्व से समान वादग्रस्त भूमि एवं समान पक्षकारान के बीच विवाद से संबंधित विचाराधीन पत्रावलीयों को समेकित करने मे योग्य अधिन न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटी नही की और न ही इस आधार पर जैर अपील निर्णय निरस्त किया जा सकता है।

रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि नूर खां जी जन्म से दृष्टीहीन होना सही है परन्तु वे अपने इंतकाल के समय कई महीनों से चल फिर नही सकने, बिस्तर पर मरणासन्न अवस्था में होने, बोल भी नही सकने, उनके हाथ पैर काम नही करने, केवल अंतिम सांसे चल रही होने, वसीयतनामा दिनांक 17–12–2013 फर्जी एवं कूटरचित होने बाबत् अपीलार्थीगण के तमाम तथ्य कथन गलत एवं सफेद झूठ है। अपीलार्थीगण ने उक्त तथ्यो को साबित करने बाबत् नूर खां की तथाकथित बीमारी बाबत् लेसमात्र दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही है। बल्कि सही तथ्य तो यह है कि नूर खां वसीयतनामा निष्पादित करने के रोज यानि दिनांक 17.12.2013 को पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्नचित अवस्था मे थे, वे स्वयं वसीयतनामा निष्पादित करने हेतू सोजत सिटी कचहरी मे चले थे तथा अपनी स्वतंत्र ईच्छा से पूर्ण होश–हवाब मे, स्वस्थ एवं प्रसन्नचित अवस्था मे वसीयतनामा रेस्पोडेण्ट हाजी खां के पक्ष मे टाईप करवाकर पढवाकर, सुन समझकर सही होना मंजूर कर स्वतंत्र गवाहान ईस्माईल खां एवं कानाराम नायक से साखे डलवाकर नूर खां स्वयं ने उक्त वसीयतनामा नोटेरी पब्लिक सोजतसिंटी श्री गोपालसिंह राजपुरोहित के समक्ष प्रस्तुत कर तस्दीक करवाया जिसे उपर दर्ज अनुसार हाजी खां एवं साख के दोनो गवाहान को प्रस्तुत कर धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो अनुसार साबित किया है। जैसाकि आर.बी.जे. (10) 2003 पेज 544 एवं आर.बी.जे. (12) 2005 पेज 211 में माननीय उच्चतम न्यायालय में अभिनिर्धारित किया कि वसीयत की प्रमाणिकता साबित करने हेतू एक साख के गवाह की साक्ष्य पर्याप्त है। अतः उक्त वसीयतनामा कत्तई संदिग्ध अवस्था में फर्जी एवं कूटरचित निष्पादित नहीं किया गया है बल्कि पूर्णतया सही एवं सच्चा है। जहां तक वादग्रस्त भूमि नूर खां की स्वअर्जित सम्पति नहीं होने का प्रश्न है इस संबंध में निवेदन है कि मुस्मिल लॉ में पैतृक पुश्तैनी सम्पति होने या संयुक्त मुस्लिम परिवार होने जैसी कोई चीज नहीं होती है। किसी खातेदार की मृत्यु पर उसके वारिसान को प्राप्त होने वाली सम्पति उनकी स्वअर्जित सम्पति मानी एवं समझी जाती है और उसे अपनी सम्पति वसीयत का पूर्ण विधिक हक–अधिकार प्राप्त होता है।

रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि जहां तक वसीयत के अनरजिस्टर्ड होने एवं वसीयतग्रहीता एवं उत्तराधिकार के बीच विवाद में उत्तराधिकारी को वरीयता दी जाने का प्रश्न है इस संबंध में निवेदन है कि धारा 135(2) आर एल. आर. के तहत अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत की जांच कर नामान्तकरण दर्ज करने संबंधी विशिष्ठ अधिकारीता प्रदान की गई है। चूकिं वसीयतग्रहीता रेस्पोडेण्ट हाजी खां ने नूर खां द्वारा उसके पक्ष मे निष्पादित वसीयत को सक्षम न्यायालय में साख के दोनो गवाहान को प्रस्तुत कर विधि अनुसार वसीयत को प्रमाणित किया है अतः उत्तराधिकारी के स्थान पर वसीयतग्रहीता के पक्ष मे उक्त वसीयतनामा को प्रमाणित मानकर उसके आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने हेतू निर्णय पारित कर योग्य अधिन न्यायालय मे अधिकारीता संबंधी कोई विधिक त्रुटी नही है अत जैर अपील निर्णय कत्तई निरस्त करने योग्य है। धारा 213(1) भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत वसीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Pratibha Singh
Date: 2024.04.04 20:01:08 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

का रजिस्ट्रेशन कत्तई आवश्यक नहीं है। इस संबंध में माननीय न्यायिक दृष्टांत आर.बी. जे. (3) 1996 पेज 569 पेश किया। चूकिं धारा 135 (2) आर. एल. आर. के तहत अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत की जांच कर नामान्तकरण दर्ज करने संबंधी विशिष्ठ अधिकारीता है अतः संक्षिप्त कार्यवाही मे वसीयत के आधार पर म्यूटेशन पारित नही किया जा सकने बाबत् अपीलार्थीगण के कथन गलत होकर विधि विरूद्ध है, इस हेतू घौषणा का वाद प्रस्तुत करने की कत्तई विधिक आवश्यकता नही है। वसीयत का प्रोबेट आवश्यक नहीं है इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर बी जे 1996(3) पेज नंबर 579, आर बी जे 2005 पेज नंबर 211(एस सी), आर बी जे 2003 पेज नंबर 544 तथा आर. बी. जे. (19) 2012 पेज 602 का प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार INDIAN SUCCESSION ACT, 1925 (As amended by Amendment Act 16 of 1962) - Section 213,57 (a) (b)- Probate of the will- State of Rajasthan does not fall within the section 57 (a)(b), therefore requirement of Section 213 are inapplicable in the state, Therefore Probate of the will in stete of rajasthan is not necessary. इसलिए राजस्थान राज्य में वसीयत का प्रोबेट आवश्यक नहीं है।

रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि मुस्लिम लॉ में मौखिक वसीयत मान्य है। अतः हस्ताक्षरो एवं Attestion साबित करने की विधिक आवश्यकता नही हैं। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत AIR 1986 AP 159 प्रस्तुत किये। मुस्लिम लॉ में संयुक्त मुस्लिम परिवार एवं जन्म से अधिकार जैसा कोई प्रावधान नही है इस संबंध मे न्यायिक दृष्टांत AIR 1982 PATNA 89 प्रस्तुत किये।

रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलार्थी अधिवक्ता का बहस के द्वोराने तर्क रहा कि ग्राम गुडा कलां की कृषि भूमि खसरा नंबर 132,134,135 व 142 की वसीयत नूर खां द्वारा हाजी खां का नही की गई। इस संबंध में यह है कि वसीयत का पेज संख्या 2 का द्वितिय पैरा की अंतिम लाईनो का अवलोकन करे जिसके अनुसार नूर खां ने हम वसीयत नामा के जरिये मेरी सम्पति व कृषि भूमियॉ आप मेरे भतिजे श्री हाजी खां को वसीयत करके वसीयत में सुपुर्द करता हूँ। इस प्रकार नूर खां ने अपनी सम्पूर्ण सम्पति व कृषि भूमियों में अपना सम्पूर्ण हिस्सा हाजी खां को वसीयत किया।

रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि वसीयतकर्ता नूर खां ने रेस्पोडेण्ट हाजी खां को अपने समाज की पुरानी प्रथा जो विधि का रूप ले चुकी है के अनुसार गोद लिया था अतः उक्त वसीयतनामा एवं गोद के आधार पर रेस्पोडेण्ट हाजी खां के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने संबंधी जैर अपील निर्णय मे कोई विधिक त्रुटी नही है। जहां तक नियम 186, 192, 193 का प्रश्न है इस संबंध में निवेदन है कि मुस्लिम लॉ. कोडीफाईड लॉ नही हैं, अतः उक्त नियम कत्तई लागू नही होते है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत Hedaya 671; baillie, 625 प्रस्तुत किये। वसीयतकर्ता नूर खां वादग्रस्त भूमि का गैर–खातेदार नही बल्कि वक्त वसीयतनामा उक्त नूर खां वादग्रस्त भूमि का खातेदारी काश्तकार दर्ज था। जैर अपील निर्णय की अनुपालना मे नामान्तकरण संख्या 1126 ग्राम ढुण्ढा लाम्बोडी एवं नामान्तकरण संख्या [illegible] ग्राम गुडा [illegible] होकर उसके आधार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद होने के पश्चात् रेस्पो[illegible] अपील पद संख्या 18 में वर्णितानुसार वादग्रस्त भूमि [illegible] 634 व 636 में से 1/24 वां हिस्सा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 27–09–2023 के रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ताज मोहम्मद को बैचाण किये जिसके आधार पर उसके पक्ष में नामान्तकरण संख्या 1128 दिनांक 06–10–2023 स्वीकृत होकर उसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड मे हो गया। इसी प्रकार रेस्पोडेण्ट हाजी खां द्वारा अपील पद संख्या 19 मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.04 20:01:08 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

वर्णितानुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 501, 502 व 503 में से 1/24 वां हिस्सा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 27–09–2023 के रेस्पोडेण्ट संख्या 3 लगायत 5 क्रमशः शकूर खां, सलीम खां, साबुदीन को बैचाण किये जिसके आधार पर उसके पक्ष में नामान्तकरण संख्या 1131 दिनांक 06–10–2023 स्वीकृत होकर उसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड में हो गया। इसी प्रकार रेस्पोडेण्ट हाजी खां द्वारा अपील पद संख्या 20 मे वर्णितानुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 657 में से 1/24 वां हिस्सा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 27–09–2023 के रेस्पोडेण्ट संख्या 6 सुराराम को बेचाण किये, जिसके आधार पर उसके पक्ष में नामान्तकरण संख्या 1129 दिनांक 06–10–2023 स्वीकृत होकर उसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड में हो गया। इसी प्रकार रेस्पोडेण्ट हाजी खां द्वारा अपील पद संख्या 20 मे वर्णितानुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 659, 666, 667, 668 में से 1/24 वां हिस्सा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 27–09–2023 के रेस्पोडेण्ट संख्या 7 चौथाराम को बैचाण किये, जिसके आधार पर उसके पक्ष में नामान्तकरण संख्या 1130 दिनांक 06–10–2023 स्वीकृत होकर उसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड में हो गया। उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में प्रकट है कि रेस्पोडेण्ट हाजी खां द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 7 के पक्ष में अलग अलग रजिस्टर्ड बैचाणनामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाये, जिनके आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 7 के पक्ष मे उपर वर्णितानुसार अलग–अलग नामान्तरकरण स्वीकृत होकर उनका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड में हो गया। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 7 सदभावीक क्रेता बिना नोटिस एवं विथ कन्सीडेरेशन है अतः रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 7 मे पक्ष मे निष्पादित विक्रय पत्रो को निरस्त कराये बिना अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व, हित, हक–अधिकार एवं कब्जा प्राप्त नही होता है। अपालार्थी द्वारा जो तर्क एवं आधार अधीन न्यायालय में नही लिये उन आधारो को अपील में तर्क के क्रम पर प्रश्रय नही किया जा सकता। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2013(2) WLC (Raj) page 01 प्रस्तुत किये। अतः अपीलार्थीगण की अपील आधारहीन, बलहीन व सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे ।

6. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सोजत ने अपने निर्णय में सरहद मौजा ग्राम ढुण्ढालाम्बोडी पटवार हल्का गुडारामसिंह भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडाकलां में स्थित भूमि खसरा नंबर 501, 502, 503, 634, 635, 636, 659, 666, 667, 668 कुल खसरा खसरा 11 कुल रकबा 9.42 हैक्टेयर की भूमि में नूरखां 1/24 वे हिस्से व ग्राम गुडाकलां के खसरा नंबर 132, 134, 135 कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.11 है. की भूमि में नूर खां का 1/24 वे हिस्से व खसरा नंबर 142 रकबा 0.20 है. में नूर खां का 1/24 वे हिस्से की भूमि में नूर खां के हक [illegible] वर्णित कृषि भूमियों में नूरखां के हक हिस्से के स्थान पर वसीयतनामा के अ[illegible] प[illegible]र्थी हाजीखां का नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित [illegible] उक्त खसरा नंबरान का कोई उल्लेख नही किया ग[illegible]य ने किस आधार पर अपीलाधीन आदेश में विर्णित खसरा नंबरान का उल्लेख कि[illegible]या है इस संबंध में कोई विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में नही किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.04 20:01:08 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार वसीयतनामा में दर्शाया गया है कि मेरे पिताजी श्री अब्दुल खॉ की खातेदारी की कृषि भूमियां सरहद मौजा ढुण्ढा लांबोडी में करीब 30 बीघा जमीन स्थित

संभागीय आयुक्त,
पाली

है, इस कृषि भूमि में मुझ नुर खां का 1/7 वॉ हिस्सा आता है, जो करीब 4.28 बीघा नूरखां का बनता हैं। जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सोजत ने अपने निर्णय में सरहद मौजा ग्राम ढुण्ढालाम्बोडी पटवार हल्का गुडारामसिंह भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडाकलां में स्थित भूमि खसरा नंबर 501, 502, 503, 634, 635, 636, 659, 666, 667, 668 कुल खसरा खसरा 11 कुल रकबा 9.42 हैक्टेयर की भूमि में नूरखां 1/24 वे हिस्से की भूमि वसीयतनामा के आधार पर प्रार्थी हाजीखां का नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किया गया, जो करीब 2.42 बीघा बनता हैं। इस प्रकार वसीयतनामा में दर्शायी गई कृषि भूमि और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सोजत के अपने आदेश में वर्णित खसरा नंबरान की भूमि के रकबे तथा हिस्सा का मिलान नही हो रहा हैं। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार सोजत ने अपने निर्णय में कोई विवेचन भी नही किया हैं।

इसी प्रकार वसीयतनामा में मौजा ग्राम गुडा कलां के संबंध में कोई उल्लेख नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में ग्राम गुडाकलां के खसरा नंबर 132, 134, 135 कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.11 है. की भूमि में नूर खां का 1/24 वे हिस्से व खसरा नंबर 142 रकबा 0.20 है. में नूर खां का 1/24 वे हिस्से की भूमि में नूर खां के हक हकूक के वसीयतनामा के आधार पर प्रार्थी हाजीखां के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। गुडा कलां के खसरा नंबरान का किस आधार पर अपने निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, उसका कोई भी विवरण आदेश में नही किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यो का अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विवेचन नही किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का फैसला अस्पष्ट है तथा तथ्यों पर आधारित नही हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सोजत के रा.वि. प्रकरण संख्या 19/2022 अनवान हाजी खां बनाम सर्वसाधारण निर्णय दिनांक 20–09–2023 को अपास्त किया जाता हैं। तहसीलदार, सोजत को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्तानुसार वर्णित स्पष्ट विवेचन के पश्चात् विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 04 अप्रैल, 2024 को [illegible] लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.04 20:01:08 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त
पाली